न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 29 सन 2019
अनवान :–

1. चन्द्रावली पत्न बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 23.03.2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक्ट खसरा न0 174/0.4810हैक्ट खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक्ट कुल 11.8370हैक्ट में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के नाम से खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम चावली पत्नि बनवारीलाल दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थीया का सही नाम चावली पत्नि बनवारीलाल है वादीया के समस्त दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , सभी में प्रार्थीया का नाम चन्द्रावली पत्नि बनवारीलाल दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादीया का नाम चन्द्रावली है।

प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फव्वारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक्ट खसरा न0 174/0.4810हैक्ट खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक्ट कुल 11.8370हैक्ट में से 1/2 हिस्सा में प्रार्थीया का नाम चावली के स्थान पर चन्द्रावली संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी के पिता नाम राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना निस्तारण फरमावें।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक्ट खसरा न0 174/0.4810हैक्ट खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक्ट कुल 11.8370हैक्ट में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीया के नाम से खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम चावली पत्नि बनवारीलाल दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थीया का सही नाम चावली पत्नि बनवारीलाल है वादीया के समस्त दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र , सभी में प्रार्थीया का नाम चन्द्रावली पत्नि बनवारीलाल दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादीया का नाम चन्द्रावली है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक खसरा न0 174/0.4810हैक खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक कुल 11.8370हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रार्थीया का नाम चावली के स्थान पर चन्द्रावली संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक खसरा न0 174/0.4810हैक खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक कुल 11.8370हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का नाम चावली पत्नि बनवारीलाल अंकित है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में चावली पत्नि बनवारीलाल अंकित किया गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम चन्द्रावली पत्नि बनवारीलाल है प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड संशोधन करवाकर राजस्व रिकार्ड में चावली के स्थान पर चन्द्रावली दर्ज करवाना चाहती है।

प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र , परिवार राशन कार्ड की प्रतिया पेश की गई जिसमें प्रार्थीया का नाम चन्द्रावली पत्नि बनवारीलाल अंकित है।

सरपंच ग्राम पचायत दलपतपुरा के द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि प्रार्थीया को व्यक्तिगत रूप से जानता है एवं प्रार्थीया का सही नाम चन्द्रावली पत्नि बनवारीलाल है एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन की अभिशषा भी की गई है । प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सहकाश्तकारों के हिस्सों में परिर्वतन नही होता है एवं नाम संशोधन से राज्य सरकार को भी किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरंपच ग्राम पंचायत दतपतपुरा के प्रमाण पत्र , पेरोकार राज के जबाब प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।

अतः तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत दलपतपुरा के प्रमाण पत्र व स्वय प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215/317 के खसरा न0 22/1 की 6.2980हैक खसरा न0 174/0.4810हैक खसरा न0 580/84 की 5.0580हैक कुल 11.8370हैक में से 1/2 हिस्सा में दर्ज प्रार्थीया का चावली के स्थान पर चन्द्रावली उर्फ चावली पत्नि बनवारीलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 /   दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 29 / 2018 अनवानी चन्द्रावली बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. चन्द्रावली पत्न बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 29 / 2018 अनवानी चन्द्रावली बनाम सरकार में दिनांक 23.3.20 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 215 / 317 के खसरा न0 22 / 1 की 6.2980हैक खसरा न0 174 / 0.4810हैक खसरा न0 580 / 84 की 5.0580हैक कुल 11.8370हैक में से 1 / 2 हिस्सा में दर्ज प्रार्थीया का चावली के स्थान पर चन्द्रावली उर्फ चावली पत्नि बनवारीलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner